न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2012/00218
राजस्व वाद संख्या 68/2012

1. भैरू पुत्र जीवण (मृतक)
1/1 गिरधारी
1/2 चन्दाराम } पुत्रान भैरू
1/3 पप्पू
1/4 रूकमा पुत्री भैरू
1/5 श्रीमती धापा देवी पत्नी भैरू
2. किशना पुत्र जीवण
3. श्रवण पुत्र सूज्या
4. हनुमान पुत्र सूज्या
5. सीताराम पुत्र सूज्या
6. गोपाल पुत्र सूज्या
7. सुभाष पुत्र सूज्या
8. कालू पुत्र सूज्या
समस्त जाति गुर्जर निवासीग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — वादीगण/अप्रार्थीगण

बनाम

1. भौरिया पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी ग्राम स्यारी तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — प्रतिवादी/प्रार्थी

2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

— — — तरबीती प्रविादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. बाबत एक पक्षिय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.2011

निर्णय दिनांक :—17.02.2021

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण/विपक्षीगण ने मान्य न्यायालय के समक्ष असत्य कथनों पर एक

वाद उनवानी भैरू व अन्य बनाम भौरिया व अन्य मु0नं0 289/2011 पेश किया जिसमें मान्य न्यायालय द्वारा जारी किये गये नोटिशों की तामील कुनिन्दा से मिलकर फर्जी तामील करवाकर प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.2011 को वादीगण ने अपने हक में पारित करवाली। मान्य न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। मान्य न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.2007 को वाद पेश किया गया दिनांक 22.8.2007 को वाद दर्ज रजिस्टर्ड करने व नोटिश जारी करने के आदेश किये गये लेकिन दिनांक 20.2.2008 के पहले तक नोटिस जारी नहीं किये गये लेकिन दिनांक 20.2.2008 को सर्वप्रथम नोटिस प्रतिवादी जारी किये गये, तत्पश्चात् दिनांक 26.3.2008, 6.5.2008, 9.7.2008 को पत्रावली तारीख पेशी पर मात्र मोहर लगाई गई तथा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा दिनांक 17.9.2008 व 18.9.2009 को भी पूर्व आदेशानुसार ही पत्रावली रखी गई उक्त तारीख पेशीयों में भी तामील प्रतिवादी होने या नहीं होने के संबंध में कतई कुछ भी आदेश नहीं किया गया तथा दि0 24.9.2008 को प्रतिवादी न0 1 की तामील पूर्ण हुई या नहीं हुई तथा तामील किस प्रकार करवाई गई और कब तथा किस दिनांक को करवाई गई कतई अंकित नहीं है तथा उक्त दिनांक की आदेशिका में प्रतिवादी नम्बर 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही भी नहीं की गई तथा उसके काफी अर्से बाद बिना विधिक तामील के दि0 11.3.2010 को प्रतिवादी न0 1 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई जो कतई विधिक प्रावधानों के विपरित की गई है।

मान्य न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी न0 1/प्रार्थी के खिलाफ केवल मात्र एक बार ही नोटिस जारी किया गया है जो दि0 20.2.08 को जारी किया गया है उक्त नोसि की तामी इनकारी से दर्शायी गयी है जो कतई गलत है तथा तामील कुनिन्दा कभी भी प्रार्थी/प्रतिवादी के पास मान्य न्यायालय का नोटिस तामील कुनिन्दा कभी भी प्रार्थी/प्रतिवादी ने कभी तामील करने से इन्कार ही किया है इसलिए मान्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद की जानकारी प्रार्थी/प्रतिवादी को नहीं हो पाई, इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी अपना पक्ष मान्य न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाया। वादीगण व वादी भैरू पुत्र जीवण का पुत्र गिरधारी ने तामील कुलिन्दा से साजिश रचकर मिन प्रतिवादी की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि को नाजायज रूप से हडप करने व प्रतिवादी नं0 1 को अपना पक्ष मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करने से वंचित करने की बदनियती से फर्जी तामील करवाई है तथा फर्जी ईनकारी अंकित की है। आदेश 5 सी.पी.सी.

के प्रावधानों के अनुकूल प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 1 कतई तामील नहीं की गई है इसलिए विधिक रूप से तामील हुये बगैर ही अग्रिम कार्यवाही करते हुए निर्णय व डिक्री पारित हुई है जो निरस्तनीय है। प्रार्थी/प्रतिवादी न0 1 की कतई तामील नहीं होने से मान्य न्यायालय के आदेश व डिक्री की जानकारी नी हो पाई प्रार्थी को सर्वप्रथम तब जानकारी हुई कि वादी नं0 1 के पुत्रों ने व प्रतिवादी न0 2 ता 8 ने प्रार्थी को भूमि विवादग्रस्त अपने नाम करवाने तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी तो प्रार्थी/प्रतिवादी न0 1 ने जयपुर आकर तथ्यों की जानकारी कर दिनांक 28.6.12 को मान्य न्यायालय में चल रहे प्रकरण की नकले प्राप्त कर अन्दर अवधि में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थन पत्र पेश करने में जो देरी हो रही है वह जानकारी के अभाव में हुई है इसलिए उक्त देरी को माफ किया जाकर प्रकरण को अन्दर अवधि में लिया जाकर मन्जूर फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र मय धारा 5 मयाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मान्य न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षिय निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.2011 को निरस्त करके प्रार्थी/प्रतिवादी न0 1 को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से श्री सनातन पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 17.04.2015 को जवाब बंद किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र की बहस दिनांक 29.01.2021 को सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादी/अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध वाद–पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दिनांक 17.8. 2007 को पेश किया जिस पर दिनांक 22.8.2007 को नोटिस जारी होने का आदेश दिया गया है। आदेशिका दिनांक 24.9.2008 में प्रार्थी की तामिल मानी जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। माननीय न्यायालय ने प्रार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध जारी नोटिस पर बिना गौर किये ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वादीगण ने तामिल कुनिन्दा से मिलकर नोटिस में गवाहान के रूप में वादी भैरू का पुत्र गिरधारी के हस्ताक्षर करवा लिये है गिरधारी वादी के परिवार का ही व्यक्ति है इस

प्रकार फर्जी तामिल के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय डिक्री जारी की गई है जो निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने समर्थन में कानूनी नजीरतें पेश की है। नजीर RRT 2009-10(SUPP) RRT 81 माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय S.B.Civil Misc अपील संख्या 1313/2010 दिनांक 03.05.2010 एवं RRT 2009-10(SUPP) RRT 2005 हमनें माननीय न्यायालय के नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस समाहित की जाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि न्यायालय हाजा द्वारा संबंधित निर्णित दावें में प्रतिवादी को जारी नोटिस की तामिल व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आदेश 5 नियम 17 व 18 के अन्तर्गत प्रतिवादी द्वारा तामिल का प्रतिग्रहण करने से इंकार करने पर तामिल कुनिन्दा द्वारा विधिवत रूप से दो व्यक्तियों के समक्ष घर पर चस्पानगी की है। जिसकी रिपोर्ट तामिल की प्रति पर अंकित है उक्तानुसार समन की तामिल सम्यक रूप से की गई है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।